प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी दिनांक 23.08.2026

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 गौकश अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 जिन्दा गौवंश, गौकशी करने के उपकरण, रस्सी तथा 01 स्विफ्ट कार रजि0नं0 UP 15 DV 5885 बरामद ।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22/23.08.2026 की रात्रि को थाना बालैनी पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना बालैनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरियाखेड़ा के जंगल में कुछ गौकश , गौकशी की घटना कारित करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर थाना बालैनी पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई । पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी किए जाने के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग के दौरान 01 शातिर गौकश अभियुक्त आमिर पुत्र सिराजुद्दीन निवासी मौहल्ला काँच का पुल, थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ को घायलास्था में गिरफ्तार किया गया है । घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 जिन्दा गौवंश, गौकशी

करने के उपकरण, रस्सी तथा 01 स्विफ्ट कार रजि0नं0 UP 15 DV 5885 बरामद की गई है। पकड़े गए अभियुक्त के अन्य साथियों के संबंध में जानकारी की जा रही है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार का नाम व पताः-

1-आमिर पुत्र सिराजुद्दीन निवासी गली नं0 8 मोहल्ला कांच का पुल , थाना लिसाडी गेट मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 गाडी स्विफ्ट रजि0नं0 UP 15 DV 5885
- एक जिंदा गौवंश
- काटने के औजार व रस्सी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री रमेश चन्द थाना बालैनी जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।
3-का0 912 सूरज सिकरवार थाना बालैनी जनपद बागपत।
4-का0 160 अंकुल कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बालैनी दिनाँक-23.08.2026

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 111/26 धारा 352,351(2),115(2),110 बीएनएस मे वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.26 को थाना बालैनी पर वादी श्री रोहित पुत्र दिनेश निवासी ग्राम मीरपुर जखैडा थाना जानी जिला मेरठ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 18.08.2026 को अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली गलौज करना मना करने पर वादी के साथ लोहे की रोड, पंच व लात घूसों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0स0 111/26 धारा 352,351(2),115(2),110 बीएनएस बनाम सौरभ आदि 03 अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 111/26 धारा 352,351(2),115(2),110 बीएनएस में वांछित अभियुक्त अंकित पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी बागपत को दिनांक 22.08.26 को समय 20.10 बजे गिरफ्तार किया गया है जिसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 देवेन्द्र शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।

2- का0 204 विकास थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना खेकड़ा **दिनाँक 23.08.2026**

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चा को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चा उम्र करीब 12 वर्ष को 03 घण्टे में अथक प्रयास से तलाश कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया । परिजनो द्वारा खेकड़ा पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0 नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

2.रि0का0 318 प्रशान्त चौधरी थाना खेकड़ा जनपद बागपत